

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 364/2021

1. सन्तलाल पुत्र बनवारीलाल जाति कुम्हार साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. साहबबुराम पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रार्थीगण

-:बनाम:-

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार (राजस्व) गोलूवाला तहसील पीलीबंगा।

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 251-क आर.टी.ए. बाबत रास्ता स्वीकृति

-: उपस्थित अभिभाषकगण :-

अधिवक्ता

-- प्रार्थीगण

तहसीलदार(राजस्व) गोलूवाला

-- अप्रार्थी

-: निर्णय :-

दिनांक :- 22/6/2022

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरुद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वही है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/223 (11) किला नं. 1 ता 4, 8, 9, 12, 13, 18, 23 की 2.530 हैक्. भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रार्थी सं.1 सन्तलाल का 1/10 हिस्सा व प्रार्थी सं.2 का 9/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी व नजरी नक्शा सलगन प्रार्थना पत्र किये गये है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित रकबा चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में 0.025 - 0.025 हैक्. यानी 2-2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता चालू है। इसी रास्ता से प्रार्थीगण अपनी भूमि में आना जाना करते है व कृषि कार्य करते है।

प्रार्थीगण अपनी भूमि का विभाजन करने से पूर्व उक्त भूमि में रास्ता राजस्व रिकार्ड में बिना प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है ताकि भविष्य में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई परेशाना ना हो। इसलिये दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में से चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में 0.025 - 0.025 हैक्. यानी 2-2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

अप्रार्थी जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में

24.06.2022


0.025 - 0.025 हैक्. यानी 2 - 2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक राजस्व/2022/627 दिनांक 04.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालु है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प०न० 5/223 मु०न० 10 कि०न० 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा रास्त प्रार्थी की भूमि को लगता है जिसे आगे बढ़ाने के लिए इससे चिपता हुआ प०न० 4/223 मु०न० 11 कि०न० 1 ता 3 में रास्ता प्रार्थीगण आपसी सहमति से स्वयं की भूमि में स्वीकृत कराना चाहते हैं।

-:: आदेश ::-

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क आर.टी.ए. मुताबिक तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक राजस्व/2022/627 दिनांक 04.05.2022 व धारा 251(क) के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण प्रार्थी की भूमि चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में 0.025 - 0.025 हैक्. यानी 2 - 2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा द्वारा रास्ते की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 24/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा